

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मु. नं ५२/१६ तारीख रजू ३०/५/१६

उजवांन - हंसराज बनाम इयोजी जायब बौल
दावाबाबत - स्थायी निषेधाज्ञा

घादी की ओर से दिनांक २६/५/१६ को दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र व जमाबन्दी का अंश-
लोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी
गण को जरिये सम्मन से तलब कर फावली दि
६.६/१६ को पेश हो।

1279-79
30/5/16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

6/16 घादी वकील उपन। प्रतिवादी जं. 1, 2, 4, 7 की ओर से
वकालतनामा प्रतिवादी जं. 3, 5, 6, 8 की ओर से प्रीची
क्षी अतिज कुमाराश्रमि A.W. ने पेश किया। शक्ति
अवावध वकालतनामा पेश करने दिनांक ६.६/१६ को
पेश हो।

६/१६ वकूलाय उपन। गतानुसार दिनांक ११.७.१६ को
पेश हो।

८.१.१६ जनरल पेशी से पेश हुई वकूलाय उपन। गतानुसार
वास्ति जम्ब दावा एवं वकालतनामा पेश करने दिनांक
७.९.१६ को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
7-9-16	<p>वकूलाय उप. / पेश कौन ^{वकालत नामा पेश} वकालत नामा एवं जबब दिनांक 4-10-16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
4-10-16	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी ^{कौरी ली} मिथि में पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 8-11-16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
8-11-16	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी ^{कौरी ली} पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 4-11-16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
5-12-16	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी ^{कौरी ली} पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 4-11-16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
4-1-17	<p>वकूलाय उप. / न्याय हित अ एव अंतिम मोरा पेश कौन वकालत नामा एवं जबब दिनांक 18-1-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
18-1-17	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी ^{कौरी ली} पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 15-2-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
15-2-17	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी ^{मिथि में पधारे} गतानुसार दिनांक 20-2-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
28-2-17	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी ^{अवकाश} पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27-3-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3.3.17 वादी वकील उप. / प्रतिवादी वकील उप. (दिनांक 18.5.17) द्वारा
 दिनांक 18.5.17 को प्रतिवादी वकील व प्रतिवादी के सह जोर
 उपस्थित नहीं है प्रतिवादी गण के निम्न एक पक्षीय कार्यवाही
 की जाती है पेश करने साक्ष्यवादी दिनांक 19.6.17 को पेश
 हो।

4.1.17 वादी वकील उप. / वादी साक्ष्य पेश करने दि. 18.5.17
 को पेश हो।

5.1) पत्रावली राजस्व लोच अदालत न्याय आपके द्वार
 कैंप में दिनांक 9.6.17 को पेश हो।

6.1) पत्रावली राजस्व लोच अदालत न्याय आपके द्वार
 कैंप कौल में पेश हुई वादी एवं वादी वकील हंसराज
 उपस्थित | कथन किया कि वादी विवादित आखी
 यात में हिस्सा नुशा खालेदार का इतकार है प्रतिवादी
 गण का वादी गण की भूमि से कोई सरोकार नहीं
 है इसलिए प्रतिवादी गण को वादी गण के हिस्से की
 भूमि में कठजा का इत में मजामस्त अदालत
 नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। बरसपर
 मनन किया / पत्रावली कर अवलोकन किया /
 अमावसी सेवत् 2072-2075 के खसरा नम्बर

1802	1803	1804	1805	1806	1807
0.08	0.16	0.20	0.12	0.04	0.07

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक फर्द अहकाम

1861	1862	1863	1864	1865	1866
0.26	0.10	0.20	0.22	0.13	0.09

कुल किरा 12 कुल रकम 1.67 ₹ में सायल
 वादी हिस्सेदार खातेदार कशाका है। प्रतिवादी
 गण की भोर से उनके वकील उपस्थित हुए कि
 पयसि समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके
 वकील ने जा तो ककालत नामा पेश किया गोदि
 जबकि प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने कादफर से
 वापिस लये को स्वीकृत ही किया है।

अतः प्रतिवादी गण को स्थायी निषेधाज्ञा
 से पाबन्द किया जाता है कि गुम कौल की श्रमि

खं. नं:

1802	1803	1804	1805	1806	
0.08	0.16	0.20	0.12	0.04	
1807	1861	1862	1863	1864	1865
0.07	0.26	0.10	0.20	0.22	0.13

1866 कुल किरा 12 कुल रकम 1.67 ₹ में
 0.09

वादी के हिस्से तक उनके कजे काशत में मजामस्त
 मदारवत नही करे। वादी को बदवल नही
 करे। पत्रावली के तल शुभ्रा होकर नम्बर से
 कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फर्दा सिद्धाशी
 है।

निर्णय आज दिनांक 9.6.17 को लिखाया
 जाकर खुले न्यायालय के म्य कौल में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)

उपजिला कलेक्टर
 टोडा